

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका;  
 संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 09/10/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 333.847 लाख (रूपये तीन करोड़ तौंतीस लाख चौरासी हजार सात सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक रवीकृत्यादेश संख्या- 06/2017-18, दिनांक 24.04.2017,- 76/2017-18, दिनांक 08.02.2018 एवं 63/2018-19, दिनांक-12.02.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य  विपत्र कोड- 50S470200101190545	333.847

आवंटित राशि – रूपये तीन करोड़ तौंतीस लाख चौरासी हजार सात सौ मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
3. आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि रु. 2380.00 लाख (तोईस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि योजना-सह-विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-1643, दिनांक-02.09.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजट उपबंध के 25% की राशि के अन्तर्गत है।
5. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
6. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरण: पालन करते हुए किया जायेगा।
7. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समस्य उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

**नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :—

63

रॉची, दिनांक :—

09/10/2020

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/गोड्डा/देवघर/गिरिडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :—

63

रॉची, दिनांक :—

09/10/2020

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/साखियकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय  
लघु शीर्ष-101-सतही जल,  
उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण  
बजट उपबंध (2020-21) – रुपये 2380.00 लाख (रुपये तेरेस करोड अस्सी लाख) मात्र  
विपत्र कोड- 505470200101190545

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			वर्ष 2020-21 में योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अन्युजित	
				प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	एकारणित राशि	मार्च 2020 तक व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	2	3	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा (GDMMIR014)	चीर नदी में बैयर निर्माण कार्य	dt. 24.04.2017-18	219.603	451	dt. 02.05.2017	211.140
3	3	3	4	लघु सिंचाई गोड्डा	बोआरी जार में नदी में बैयर निर्माण	dt. 08.02.2018	108.150	2142	dt. 12.02.2018	100.470
4	4	4	5	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	बस्तराय कुमारकोल नदी में शुद्धलावद्व चैकडैम निर्माण		165.500	144.720	65.000	0.000
5	5	5	6	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	मुन्द्रसपहाड़ी पहाड़ियां नाला पर चैकडैम निर्माण	63/2018-19	78.500	69.820	30.000	0.000
6	6	6	7	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	उरलला जार नाला पर चैकडैम निर्माण	dt. 12.02.2019	84.540	2097	75.390	30.000
7	7	7	8	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	पोड़ियाहट हरणी जारिया पर शू पर चैकडैम निर्माण		182.773	215.120	81.150	32.000
8	8	8	9	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	महानामा योगा नाला में शुद्धलावद्व चैकडैम निर्माण		1,136.176	1,000.180	543.710	0.000
9	1	10	10	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	सारठ शहरजारी परवाना दंगत जारिया पर शुद्धलावद्व		103.362	90.554	72.000	0.000
11	2	3	11	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	पालजारी मुली जारिया पर शुद्धलावद्व चैकडैम निर्माण कार्य	63/2018-19	103.856	88.386	78.312	60.000
12	4	4	12	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	दुमका देवधर पालजारी डोमाडीह हल्लादांल जारिया पर शू चैकडैम निर्माण	dt. 12.02.2019	151.977	2097	134.560	53.500
13	5	5	13	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	(DGRMIR001) मधुपुर सानाजारी जारिया में शू चैकडैम निर्माण		206.404	183.287	112.000	0.000
14	6	6	14	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	देवधर लगनातरी जारिया में शुद्धलावद्व चैकडैम निर्माण		157.305	130.023	0.000	0.000
15	7	7	15	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	देवधर लगनातरी जारिया में शुद्धलावद्व चैकडैम निर्माण		79.377	72.953	34.730	0.000
16	1	1	16	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	जमुआ कटुटाङ नाला पर चैकडैम निर्माण		890.667	779.501	404.230	0.000
17	2	2	17	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	देवधरी तुलोरी नाला पर शुद्धलावद्व चैकडैम निर्माण	63/2018-19	81.000	109.924	2097	72.930
18	3	3	18	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	(GRDMIR001) गावों जामनी नाला पर चैकडैम निर्माण	dt. 12.02.2019	50.950	51.032	44.394	75.00
19	4	4	19	लघु सिंचाई प्रमाणित गोड्डा	योगा योगा जार नाला पर चैकडैम निर्माण		292.906	255.741	159.000	0.000
				सकल योग :-			2,319.749	2,035.422	1,106.940	0.000
				योग :-			333.847	333.847	1,440.787	
				सकल योग :-			333.847	333.847	1,440.787	